न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 10/2021

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत धतरवाला पंचायत समिति चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
— निगरानीकार

—बनाम—

1. बनवारी पुत्र सूरजाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम कुतुबपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
2. सरपंच ग्राम पंचायत धतरवाला, पंचायत समिति चिड़ावा जिला झुंझुनू।

— गैर निगरानीकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज. अधि0 1994 विरूद्ध जारी करने पट्टा दिनांक 29.11.75 द्वारा ग्राम पंचायत धतरवाला

उपस्थितिः—

1. श्री श्रवण कुमार, एडवोकेट ———— — ————निगरानीकार की ओर से ।
2. श्री गोरधन सिंह, एडवोकेट ———— — ——गैर निगरानीकार की ओर से ।

—निर्णय— दिनांक 24.11.2021

उक्त निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज. अधि0 1994 विरूद्ध जारी करने पट्टा दिनांक 29.11.1975 ग्राम पंचायत धतरवाला के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि— ग्राम पंचायत धतरवाला द्वारा जारी किया गया पट्टा दिनांक 29.11.1975 विधि विरूद्ध गलत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। भूमि खसरा नंबर 75 मी. रकबा 64 बीघा 11 विश्वा किस्म गै0 मु0 जोहड़ के नाम दर्ज रही है, जिसके हाल खसरा नंबर 160 रकबा 1.01 हैक्टर सिवायचक नाकाबिल काश्त स्कूल के नाम से दर्ज है, का पट्टा गैर निगरानीकार नंबर 1 को विधि विरूद्ध जारी किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। गत खसरा नंबर 75 हाल खसरा नंबर 160 ग्राम कुतुबपुरा में रिकार्ड की बिना कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gaur
Date: 2021.11.26 12:00:39 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

जांच किये तत्कालीन सरपंच ने गैर निगरानीकार नंबर 1 को अवैध व अनाधिकृत रूप से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गैर मु0 जोहड़ की भूमि पर पट्टे जारी किये गये हैं, जो निरस्त होने योग्य हैं। गैर निगरानीकार नंबर 2 के द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख का पट्टा किया गया है, जबकि नियम 167 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसे पट्टे पर सरपंच और सचिव के संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किये जायेंगे, जबकि उक्त पटटे पर दोनों के हस्ताक्षर नहीं है। गैर निगरानीकार नंबर 2 ने सम्पूर्ण कार्यवाही मनमर्जी से कर पट्टा जारी किया है, जो काबिले खारिज है। अंत में निगरानीकार पेश कर निवेदन किया कि निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत धतरवाला द्वारा जारी पट्टा दिनांक 29.11.1975 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। गैर निगरानीकार सरपंच ग्राम पंचायत धतरवाला की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि भूमि खसरा नंबर 75 मी. रकबा 64 बीघा 11 विश्वा किस्म गै.मु. जोहड़ के नाम दर्ज रही है जिसके हाल खसरा नंबर 160 रकबा 1.01 हैक्टर गै.मु. स्कूल के नाम दर्ज है। तत्कालीन सरपंच ने बिना कोई जांच किये व राजस्थान पंचायती राज अधि0 के प्रावधानों की बिना पालना किये मनमर्जी से अपने व्यक्तियों को लाभ पंहुचाने की नियत से अपने स्वयं के हस्ताक्षर से पट्टे जारी कर दिये गये थे इनका ग्राम पंचायत में कोई रिकार्ड नहीं है। तत्कालीन सरपंच द्वारा अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपनी मर्जी से उक्त पटटे जारी किये हैं, जो शून्य व निष्प्रभावी है। अतः पट्टा गलत होने के कारण निरस्त फरमाया जावे।

मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस निगरानी सुनी गई।

दौराने बहस वकील निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– ग्राम पंचायत धतरवाला द्वारा जारी किया गया पट्टा दिनांक 29.11.1975 विधि विरूद्ध गलत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। भूमि खसरा नंबर 75 मी. रकबा 64 बीघा 11 विश्वा किस्म गै0 मु0 जोहड़ के नाम दर्ज रही है, जिसके हाल खसरा नंबर 160 रकबा 1.01 हैक्टर सिवायचक नाकाबिल काश्त स्कूल के नाम से दर्ज है, का पट्टा गैर निगरानीकार नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.26 12:00:39 IST
Reason: SelfAttested

1 को विधि विरूद्ध जारी किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। गत खसरा नंबर 75 हाल खसरा नंबर 160 ग्राम कुतुबपुरा में रिकार्ड की बिना कोई जांच किये तत्कालीन सरपंच ने गैर निगरानीकार नंबर 1 को अवैध व अनाधिकृत रूप से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गैर मु0 जोहड़ की भूमि पर पट्टे जारी किये गये हैं, जो निरस्त होने योग्य हैं। गैर निगरानीकार नंबर 2 के द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख का पट्टा किया गया है, जबकि नियम 167 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसे पट्टे पर सरपंच और सचिव के संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किये जायेंगे, जबकि उक्त पटटे पर दोनों के हस्ताक्षर नहीं है। गैर निगरानीकार नंबर 2 ने सम्पूर्ण कार्यवाही मनमर्जी से कर पट्टा जारी किया है, जो काबिले खारिज है। अंत में निगरानीकार पेश कर निवेदन किया कि निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत धतरवाला द्वारा जारी पट्टा दिनांक 29.11.1975 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रकरण में दिनांक 18.8.2021 को प्रारम्भिक आपति पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम विकास अधिकारी को ग्राम पंचायत के बिना प्रस्ताव के यह निगरानी पेश करने का अधिकार नहीं है। विकास अधिकारी द्वारा पद का दुरूपयोग किया गया है। धारा 97 के तहत उसी कार्यवाही या पंचायत प्रस्ताव के विरूद्ध निगरानी सुन सकते है जो पंचायत के रिकार्ड में है। ग्राम पंचायत सचिव को जनता द्वारा चुनी हुई ग्राम पंचायत के निर्णय ,प्रस्ताव या पटटो को चैलेंज करने का अधिकार नहीं है। दिनांक 29.9.2021 को विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 स 3 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपसी पेश कर निवेदन किया गया कि निगरानी में मियाद 90 दिन है। ग्राम विकास अधिकारी को प्रारम्भ जानकारी होना स्वाभाविक है। अदालत के पास पुनरीक्षण करने के लिए न तो वह आदेश है और वह कार्यवाही है जिसका पुनरीक्षण किया जना है। निगरानीकार ने पटटा जारी करने के ग्राम पंचायत के आदेश को पुनरीक्षण करने हेतु अपनी याचिका में अनुतोष भी नहीं चाहा। किसी पट्टा या दस्तावेजा निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। तथा दिनांक 27.10. 2021 विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार बनवारीलाल ... एक प्रार्थना पत्र अं0धारा 10 जो0 दी0 पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत धतरवाला द्वारा प्रार्थी के हक में जारी किये गये पटटा दिनांक 29.11.1975 को निरस्त करने के लिए निगरानी प्रस्तुत की गई है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.26 12:00:39 IST
Reason: SelfAttested

पट्टे के संबंध में सिविल दावा दिनांक 23.6.2021 से सिविल न्यायालय पिलानी के यहां विचाराधीन है। कानून एक ही विषय वस्तु के संबंध में दो प्रकरणें का विचारण एक साथ अलग–अलग न्यायालययों या एक ही न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। धारा 10 सीपीसी में व्यवस्था दी गई है कि यदि एक ही विषय वस्तु से संबंधित दो प्रकरण न्यायालय में पेश हो जावे तो प्श्चातवर्ती प्रकरण की कार्यवाही पूर्व प्रकरण के निर्णय तक स्थगित की जायेगी।

उक्त प्रार्थना पत्र का निगरानीकार द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी के तथ्यों से इन्कार किया गया तथा अतिरिक्त कथन में निवेदन किया गया कि गैर निगरानीकार को तत्कालीन सरपंच ने अवैध व अनाधिकृत रूप से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गैर मु0 जोहड़ की भूमि का पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकार द्वारा जोहड़ की भूमि में जारी पट्टों को निरस्त करवाने के लिए यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। गैर निगरानीकार के द्वारा दिनांक 18.8.2021 को निगरानी का जवाब पेशकर दिया गया था, उसके बाद भिन्न–भिन्न प्रार्थना पत्र बार–बार पेश कर प्रकरण को लम्बा करने की नियत से कर रहे हैं, प्रार्थना सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण में ग्राम पंचायत धतरवाला के वर्तमान सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी धतरवाला द्वारा बताया गया कि उक्त पटटे का कोई भी रिकार्ड ग्राम पंचायत में नहीं पाया गया और ना ही कोई कार्यवाही रजिस्टर है और ना कोई रिकार्ड दर्ज है।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या–1 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि– इस प्रकरण में निगरानीकार जो स्वयं ग्राम पंचायत धतरवाला का सचिव है, ग्राम पंचायत का पटटा जारी करने की कार्यवाही पंचों की कार्यवाही रजिस्टर पेश नहीं किया है व न कार्यवाही की सत्य प्रतिलिपियां पेश की है। ग्राम पंचायत से संबंधित पटटो की दिनांक को पंचों की बैठक की कार्यवाही का रजिस्टर तलब किया वह भी ग्राम पंचायत ने पेश नहीं किया है व ग्राम पंचायत ने रिकार्ड पेश न करने का कारण उनके पास रिकार्ड न होना बताया है। परन्तु यह नहीं बताया की रिकार्ड व पंचों की कार्यवाही का रजिस्टर कहां है। इस प्रकार के पंचायत वयवहार से स्पष्ट है कि निगरानीकार ग्राम पंचायत जान बूझकर रिकार्ड पेश नहीं करना चाहती है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत निगरानीकार के विरूद्ध उपधारण करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.26 12:00:39 IST
Reason: SelfAttested

कानूनन में प्रावधान है। अदालत के सामने पट्टा जारी करने के प्रस्ताव आदेश व पट्टा जारी करने के आदेश की सत्य प्रति या असल न होने से ग्राम पंचायत के आदेश या विनिश्चय की संविक्षा करने हेतु कोई सामग्री नहीं है व बिना विचारण सामग्री के न्यायालय द्वारा कोई संविक्षा या कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। निगरानी स्वयं में ग्राम पंचायत के किसी आदेश या विनिश्चय को प्रश्नगत नहीं किया है। निगरानी में गैर निगरानी कार के पक्ष में जारी सुदा पटटा दिनांक 29.11.1975 को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा है। किसी दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को है, इस न्यायालय को केवल मात्र पंचायत के निर्णय की संविक्षा करने का अधिकार है। निगरानी में पट्टा दिनांक 29.11.1975 को निरस्त कराना चाहा है जिस पट्टा को निरस्त कराना चाहा है न तो वह असल पटटा श्रीमान के यहां पेश किया है व न उस पट्टा की सत्य प्रति पेश की गई है केवल एक अपठनिय फोटो कॉपी पेश है जिससे किसी निणर्य पर नहीं पंहुचा जा सकता । कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि जिस दस्तावेज को या आदेश को चैलेन्ज किया जाता है उसकी सत्यप्रति व असल पेश करना आवश्यक है। इस प्रकार श्रीमान के सामने इस निगरानी को खारीज करने के अलावा कोई उपचार नहीं है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि ग्राम पंचायत ने पट्टा दिनांक 29.11.1975 का है कानूनन असाधारण विलम्ब के बाद किसी कार्यवाही या पटटे को निगरानी के द्वारा चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है जैसा कि 2012 (2) डीएनजे (राज.) 602 पर माननीय उच्च न्यायालय ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि – राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 आहवंटन आदेश दिनांक 22.10.1983 व 22/9/1995 को रद्द करने हेतु निगरानी पेश करने में 20 साल का असाधारण विलम्ब निगरानी शक्तियां युक्ति–युक्त अवधि में उपयोग की जानी चाहिए–निगरानी दिनांक 21./6/05 को पेश की निर्णित अति0 कलेक्टर को विलम्ब के एक मात्र आधार पर निगरानी खारिज करनी चाहिए थी ।

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने 20 साल के विलम्ब को असाधारण विलम्ब माना व केवल मात्र विलम्ब के आधार पर निगरानी खारीज का आदेश दिया है। प्रश्नगत निगरानी 45 साल से अधिक [illegible] हुई जो केवल मात्र विलम्ब के आधार पर खरीज करना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.26 12:00:39 IST
Reason: SelfAttested

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2015 (4) डीएनजे (राज0) 1853 पर भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि –

राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 धारा 97–24 साल बाद आवंटित भूमि का पटटा निरस्त करने हेतु निगरानी पेश की: – अधिनियम में परिसिमा का प्रावधान नहीं –असामान्य विलम्ब के बाद निगरानी ग्रहण नहीं जा सकती। युक्ति युक्त समय में पक्षकार को निगरानी पेश करनी चाहिये और सिविल कार्यवही पेश करने हेतु अवधि दिशा निर्देश कारक होनी चाहिए । –निर्णित निगरानी क्षेत्राधिकारिता का उपभोग करने में अतिरिक्त कलेक्टर ने कोई त्रुटि नहीं की है। आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया ।

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय व संबंधित अतिरिक्त कलेक्टर ने 24 साल के विलम्ब को असाधारण विलम्ब माना है जबकि यह निगरानी 45 साल से अधिक समय बाद पेश हुई है। इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार सख्या–1 ने एस.सी.सी. 2015 (3) सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 695 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया। निगरानीकार ने जिस भूमि गत खसरा नंबर 75 के हाल खसरा नंबर 160 ग्राम कुतुबपुरा की भूमि में से गैर निगरानीकार को पटटा जारी करना बताया है उसे गैर मु0 जोहड़ की भूमि होना गलत दर्ज किया है। भूमि गत खसरा नंबर 75 ग्राम कुतुबपुरा सम्वत 2012 से 2015 की जमाबन्दी में गोरधन दान पि. महताब, म्होरी पत्नी नारायणदान, गोरीदान, गिखर दानन पित्र चालक दान, बदरी दन, गंगादान, पि. दुरजन दान, जैतदान व सुखादान पि. जवानी दान, मंगलदान व अम्बादान पी. नरसदान, हिंगलाज दान व बलवान दान पी. खेतदान, तख्तदान, प्रभूदान पि. मंगलदान जातियान चारण सा. देह के नाम दर्ज थी जिन्होंने भूमि पंचायत को सामुहिक कार्यों के लिए दे दी थी। सम्वत 2030 से 2033 की जमाबंदी में यह भूमि ग्राम वासियों द्वारा चराई अथवा दूसरे सम्मिलित प्रयोजनों के लिए धारण की गई सामलात अथवा बिना बोयी गई भूमि के रूप में दर्ज हुई । इस प्रकार भूमि जो गांव वालों ने सम्मिलित प्रयोजनों के लिए छोड़ दी गई। गांव वालों द्वारा छोड़ी गई सम्मिलित प्रयोजनों की भूमि ग्राम पंचायत में वेस्ट हो गई। सम्मत 2030 से 2033 की अवधि में ही सन 1975 [illegible] है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा 1975 में जब पट्टा जारी किया तब यह भूमि ग्राम [illegible] में निहित थी व ग्राम पंचायत ने पट्टे पंचायत भूमि के जारी किये। पंचायत भूमि का वर्णन राज पंचायती राज

Signature Not Verified
Digitally Signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.26 12:00:39 IST
Reason: SelfAttested

नियम के अध्याय 9 के नियम 136 वर्णित है। भूमि गत खसरा नंबर 75 ग्राम कुतुबपुरा कभी गैर मु0 जोहड़ की भूमि नहीं रही, परन्तु भूमि के खातेदारों द्वारा भूमि को पंचायत के हक में छोड़ देने से भूमि काश्त नहीं हुई, इसलिये भूमि को बंजड़ जोहड़ दर्ज कर दिया गया। गैर निगरानीकार के विरूद्ध सन 2003 में धारा 91 एलआर एक्ट की कार्यवाही तहसीलदार चिड़ावा द्वारा पट्टासुदा भूमि होने की बात पर ड्रोप की गई थी। अतः निगरानीकार की निगरानी मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस पर मनन किया। जहां तक प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी का प्रश्न है। यह निगरानी निगरानीकार के नाम से गैर मु0 जोहड़ की भूमि में अनाधिकृत रूप से तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत धतरवाला द्वारा जारी तथाकथित पट्टे को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की गई है, जबकि सिविल न्यायालय पिलानी में इस तथाकथित दस्तावेज को ग्राम पंचायत धतरवाला द्वारा जारी पट्टा बताकर विवादित भूमि से बेदखली के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है। सिविल न्यायालय में तथकथित पट्टे की वैधानिकता को चुनौति नहीं दी गई है, बल्कि इसे पट्टा बताकर अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है, जब कि हस्तगत प्रकरण में निगरानीकार द्वारा उक्त पट्टे को ही निरस्त कराने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गई है। दोनों के तथ्य भिन्न हैं और सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद में ग्राम पंचायत धतरवाला पक्षकार भी नहीं है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी के तथ्य भिन्न होने से उक्त प्रार्थना पत्र हस्तगत प्रकरण में चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना 10 सीपीसी खारिज किया जाता है।

जहां तक हस्तगत निगरानी में निगरानीकार के नाम से प्रस्तुत उक्त पट्टे का प्रश्न है– राजस्व रिकार्ड में भूमि खसरा नंबर 75 मी. रकबा 64 बीघा 11 विश्वा किस्म गै0 मु0 जोहड़ के नाम दर्ज रही है, जिसके हाल खसरा नंबर 160 रकबा 1.01 हैक्टर सिवायचक नाकाबिल काश्त स्कूल के नाम से दर्ज है। जहां तक हस्तगत निगरानी में प्रस्तुत पट्टे का प्रश्न है, उक्त पट्टा ग्राम पंचायत [illegible] ग्राम पंचायत द्वारा जवाब में बताया गया है। ग्राम पंचायत का कथन है कि तत्कालीन सरपंच ने बिना कोई जांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.26 12:00:39 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

किये व राजस्थान पंचायती राज अधि0 के प्रावधानों की बिना पालना किये मनमर्जी से अपने व्यक्तियों को लाभ पंहुचाने की नियत से अपने स्वयं के हस्ताक्षर से पट्टे जारी कर दिये गये थे इनका ग्राम पंचायत में कोई रिकार्ड नहीं होना बताया गया है। तथाकथित पट्टे पर तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर हैं, सचिव ग्राम पंचायत धतरवाला के हस्ताक्षर नहीं है। ग्राम पंचायत सदन के बिना सरपंच को अकेले पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि की किस्म गैर मु0 जोहड़ दर्ज रही है। ग्राम पंचायत को आबादी भूमि के अलावा अन्य राजकीय भूमियों पर पट्टे जारी करने के अधिकार कभी नहीं रहे। अगर ग्राम पंचायत धतरवाला के सरपंच या पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उक्त तथाकथित पट्टा गैर निगरानीकार संख्या 1 को जारी भी किया गया है तो भी इस पट्टे की वैद्यता शून्य है। निगरानीकार द्वारा उक्त तथाकथित पट्टे की आड़ में जिस भूमि पर काबिज होना बताया गया है वह भूमि भी गै0 मु0 जोहड़ के नाम दर्ज रही है, जिसके हाल खसरा नंबर 160 रकबा 1.01 हैक्टर सिवायचक नाकाबिल काश्त स्कूल के नाम से दर्ज है। ग्राम पंचायत को आबादी भूमि के अलावा जोहड़ की भूमि पर पट्टे जारी करने के अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत पट्टा, पट्टा न होकर एक रद्दी पेपर है, जिसकी कानूनन कोई अहमियत नहीं होने से यह दस्तावेज रद्दी पेपर/शून्य दस्तावेज की श्रेणी में आता है। विद्धान अधिवक्ता निगरानीकार का कथन है कि गैर निगरानीकार उक्त फर्जी दस्तावेज की आड़ में स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, इसलिए पट्टा निरस्त किया जावे।

विद्धान अधिवक्ता गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होते क्योंकि विवादित भूमि गै.मु. जोहड़ की भूमि रही है जो वर्तमान में स्कूल के नाम दर्ज रिकार्ड है। अबादी भूमि के अतिरिक्त किसी भी राजकीय भूमि पर विधिक प्रावधानों से बाहर जाकर अगर कोई पट्टा आदि जारी कर जमीन पर अतिक्रमण किया जाता है और जिला कलक्टर के संज्ञान में आने पर सुमोटो भी निरस्त करने के अधिकार प्राप्त हैं। उक्त दस्तावेज पट्टा न होकर एक रद्दी पेपर है, परन्तु निगरानीकार इसका पट्टा बताकर राजकीय स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण [illegible] है। [illegible] स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थियों को देखते निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाकर हस्तगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.26 12:00:39 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

प्रकरण में बनवारीलाल पुत्र सूरजाराम जाति जाट निवासी ग्राम कुतुबपुरा के नाम से तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत धतरवाला द्वारा जारी उक्त पट्टे को निरस्त किया जाता है।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 24.11..2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.26 12:00:39 IST
Reason: SelfAttested